उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-75/2899/30-3-14-10बी/2013टी0सी0
लखनऊ, दिनॉक 15 अक्टूबर, 2014

## संशोधन/शुद्धि-पत्र

प्रदेश के पूर्व निर्मित सम्भागीय परिवहन कार्यालय, लखनऊ व आगरा में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हॉल के निर्माण हेतु संशोधित ड्राइंग के अनुमोदन के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेश संख्या-73/2456/30-3-14-10बी/2013टी0सी0, दिनॉक 30.09.2014 निर्गत किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रदेश के पूर्व निर्मित सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिये हॉल के निर्माण हेतु नक्शों के मानकीकरण एवं लागत के अनुमोदन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-3/2011/30-3-13-10बी/2013, दिनॉक 13.09.2013 निर्गत किया गया है।

3- संशोधित ड्राइंग के अनुमोदन के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेश संख्या-73/2456/30-3-14-10बी/2013टी0सी0, दिनॉक 30.09.2014 में टंकण त्रुटिवश नक्शों के मानकीकरण एवं लागत के अनुमोदन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-3/2011/30-3-13-10बी/2013, दिनॉक 13.09.2013 के स्थान पर दिनॉक 13.12.2013 टंकित हो गया है, जिसे कृपया 13.09.2013 पढ़ा जाये। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनॉक 30.09.2014 में निहित शर्त संख्या-(1) में उल्लिखित शासनादेश को भी शासनादेश संख्या-3/2011/30-3-13-10बी/2013, दिनॉक 13.09.2013 पढा जाये।

तदनुसार संशोधित ड्राइंग के अनुमोदन विषयक शासनादेश दिनॉक 30.09.2014 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-75/2899(1)/30-3-2014, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र संख्या-2369ए/2014-17नजा0/2013, दिनॉक 10.10.2014 के क्रम में।
2- कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in